राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः एफ4 (66)आकाशि/नि.सं./2004/240

दिनांकः–21-8-2023

## आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत निम्न महाविद्यालय को सत्र 2023–23 से स्नातक स्तर पर **नवीन विषय/संकाय** में **स्थाई अनापत्ति प्रमाण** पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है

| संचालक संस्था | महाविद्यालय का नाम | सम्बद्धक विश्वविद्यालय | संकाय व विषय |
|---|---|---|---|
| श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, सीकर रोड़, जयपुर। | श्री भवानी निकेतन विधि महाविद्यालय, सीकर रोड़, जयपुर। | डॉ. भीमराव अम्बेड़कर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर। | **B.A. LLB ( LAW )** |

1. संस्था प्रत्येक सत्र मे निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाईन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
2. **संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड़ करेगी।**
3. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
4. संस्था को समय–समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
6. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–साथ अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
10. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
11. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2023–24 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल **WWW.aishe.nic.in** पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय अपलोड़ेड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेंगे।

**उपर्युक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।**

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. कुल सचिव, डॉ. भीमराव अम्बेड़कर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि.सं.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O):

क्रमांकः एफ4 (72)आकाशि / नि.सं. / 2004 / 474

दिनांक:- 22.7.22

## आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत निम्न महाविद्यालय को सत्र 2022-23 से स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित नवीन विषय/ संकाय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है

| संचालक संस्था | महाविद्यालय का नाम | सम्बद्धक विश्वविद्यालय | संकाय व विषय |
|---|---|---|---|
| श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, सीकर रोड, जयपुर। | श्री भवानी निकेतन विधि महाविद्यालय, सीकर रोड, जयपुर। | डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर। | स्नातकोत्तर स्तर पर<br>**PG Diploma in Legal and Forensic Science** (Law)<br>**L.L.M** |

1. संस्था प्रत्येक सत्र मे निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाईन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
2. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड़ करेगी।
3. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय, का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
4. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए।
6. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
10. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
11. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2021-22 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
12. यदि संस्था की भूमि शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित नहीं है तो संस्था को स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि मे भू-रूपान्तरण आदेश कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा यह स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
13. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल **WWW.aishe.nic.in** पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. कुल सचिव, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि.सं.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा

# आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 4 (318) आकाशि / नि.सं. / 2004 / 270 दिनांकः– 11-1-16

## आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2015–16 से निम्नलिखित महाविद्यालय, को स्थाई अनापत्ति प्रमाण – पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:–

| महाविद्यालय का नाम व पता | सम्बद्धक विश्वविद्यालय | संचालित विषय / संकाय |
|---|---|---|
| भवानी निकेतन विधि महाविद्यालय, सीकर रोड, चौमूं सर्किल के पास, जयपुर | राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर | विधि– त्रि वर्षीय पाठ्यक्रम |

1. सम्बन्धित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
4. संस्था को समय–समय पर यू.जी.सी. /राज्य सरकार/ आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरिंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लघंन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
10. संस्था प्रतिवर्ष आयुक्तालय / नजदीकी राजकीय महाविद्यालय / विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. संस्था महाविद्यालय की Website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस Website address की सूचना देगी।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपार्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
13. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को को प्रत्याहरित कर लिया जावेगा।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –
1.निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3.जिला कलेक्टर, जयपुर।
4.कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5.सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय।
6.सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7.रक्षित पत्रावली ।

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

प. 2 (3)/शिक्षा-4/2004 पार्ट

जयपुर, दिनांक 13-5-04

कुल सचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर ।

विषय:- सत्र 2004-05 मे नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा के आधार पर निर्देशानुसार निम्नलिखित नवीन विधि महाविद्यालयो के लिये सत्र 2004-05 मे प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तों पर सत्र 2004-05 के लिये अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :-

| स्पोन्सरिंग ट्रस्ट/संस्था का नाम | प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम | संकाय/विषय | कॉलेज शिक्षा का अनुशंषा पत्र |
|---|---|---|---|
| सोसायटी फार ह्यूमन एकेडमिक ट्रांसफारमेशन इन इण्डीया, समिति, भरतपुर | श्री अग्रसेन विधि महाविद्यालय, भरतपुर | स्नातक विधि त्रि-वर्षिय पाठ्यक्रम | प.4(75)लेखा/निकाशि/03/1591 दिनांक 14.5.2003 |
| प्रतिभा पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति,अशोक विहार, अलवर | सरस्वती महिला महाविद्यालय,अलवर | स्नातक विधि त्रि-वर्षिय पाठ्यक्रम | प.4( )लेखा/निकाशि/03/2409 दिनांक 23.6.2003 |
| सीकर विकास एवं शिक्षण अनुसंधान संस्थान समिति, सीकर | राजस्थान लॉ कॉलेज, सीकर | स्नातक विधि त्रि-वर्षिय पाठ्यक्रम | प.4( )लेखा/निकाशि/03/2161 दिनांक 5.6.2003 |
| सज्जन शिक्षा समिति,भवानी नगर, सीकर रोड, जयपुर | सज्जन विधि कन्या महाविद्यालय, सीकर | स्नातक विधि त्रि-वर्षिय पाठ्यक्रम | प.4( )लेखा/निकाशि/03/2158 दिनांक 5.6.2003 |
| इन्स्टीट्यूट फार एडवान्स एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च,पुतली रोड, कोटपुतली , जयपुर | टैगोर पब्लिक कॉलेज, पुतली रोड, कोटपुतली रोड,जयपुर | स्नातक विधि त्रि-वर्षिय पाठ्यक्रम | प.4( )लेखा/निकाशि/03/2303 दिनांक 16.6.2003 |
| सज्जन शिक्षा समिति, जयपुर | सज्जन विधि महाविद्यालय, अम्बाबाडी , जयपुर | स्नातक विधि त्रि-वर्षिय पाठ्यक्रम | प.4( )लेखा/निकाशि/03/1788 दिनांक 22.5.2003 |
| दीपशिखा कला संस्थान, शास्त्रीनगर,जयपुर | दीपशिखा लॉ कॉलेज, शास्त्री नगर ,जयपुर | स्नातक विधि त्रि-वर्षिय पाठ्यक्रम | प.4( )लेखा/निकाशि/03/1584 दिनांक 13.5.2003 |
| सेन्ट अगस्त एज्युकेशनल सोसायटी, जयपुर | दयानन्द लॉ कॉलेज, विश्वेश्वर्या नगर , जयपुर | स्नातक विधि त्रि-वर्षिय पाठ्यक्रम | प.4( )लेखा/निकाशि/03/1603 दिनांक 20.5.2003 |
| भवानी निकेतन शिक्षा समिति, झोटवाडा , जयपुर | श्री भवानी निकेतन विधि महाविद्यालय, जयपुर | स्नातक विधि त्रि-वर्षिय पाठ्यक्रम | प.4( )लेखा/निकाशि/03/1590 दिनांक 13.5.2003 |
| अकादमी आफ कनिष्का कम्प्यूटर्स, सिविल लाईन , जयपुर | अकादमी आफ कनिष्का कम्प्यूटर्स, सिविल लाईन , जयपुर | स्नातक विधि त्रि-वर्षिय पाठ्यक्रम | प.4( )लेखा/निकाशि/03/2175 दिनांक 6.6.2003 |
| दीजी प्रोफेशन एज्युकेशनल सोसायटी, संसारचन्द रोड, जयपुर | राजस्थान लॉ कॉलेज ,मालवीय नगर , जयपुर | स्नातक विधि त्रि-वर्षिय पाठ्यक्रम | प.4( )लेखा/निकाशि/03/2145 दिनांक 4.6.2003 |
| जगन्नाथ गुप्ता मेमोरियल एज्युकेशनल सोसायटी, सीतापुरा, जयपुर | जगन्नाथ गुप्ता कॉलेज आफ लॉ , सीतापुरा , जयपुर | स्नातक विधि त्रि-वर्षिय पाठ्यक्रम | प.4( )लेखा/निकाशि/03/2205 दिनांक 8.6.2003 |

1. संस्था (महाविद्यालय) को यूजीसी द्वारा समय समय पर जारी विनियमों/दिशा निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी ।
2. अस्थाई परिसर में संस्थान को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान नही की जायेगी तथा प्रथम वर्ष/पूर्वार्द्ध की कक्षायें चलाने हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध होना आवश्यक है। इसी प्रकार अगले वर्षो मे चलायी जाने वाली कक्षाओं के लिये तदनुसार वर्ष मे भवन उपलब्ध होना आवश्यक है।
3. शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्था व महाविद्यालय बाध्य होंगे ।
4. छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
5. स्वीकृत पाठ्यक्रमो हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालयो से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
6. महाविद्यालय मे प्रवेश प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओ को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी।
7. संस्था, बार काउन्सिल आफ इंडिया नई दिल्ली से नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त कर छात्रो को प्रवेश दिया जायेगा तथा संस्थ द्वारा बार काउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा समय समय पर जारी निर्देशो की पालना करनी होगी ।
8. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य मे किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/महाविद्यालय को देय नही होगा ।
9. आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
10. ट्रस्ट/संस्था की सम्पूर्ण योजना की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत व्यय प्रथम वर्ष मे व्यय किये जाने की क्षमता का होना आवश्यक है।
11. स्वीकृत पाठ्यक्रमो के लिये महाविद्यालय मे उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं (यथ यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षको, तथा कम्प्यूटर कोर्स हेतु यूजीसी योग्यताधारी नही होने पर एआईसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता वाले शिक्षक) के संबंध मे एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्था/महाविद्यालय द्वारा कालेज शिक्षा को अवगत कराना आवश्यक होगा ।
12. संकाय/विषयवार सीटो का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार संख्या सीमा मे ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।
13. संस्था द्वारा स्थायी जमा मे जमा करायी गयी राशि 5 वर्ष तक जमा रखनी होगी तथा प्रत्येक 5 वर्ष बाद उसका नवीनीकरण कराया जायेगा ।
14. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते मे निर्धारित एण्डोमेंट राशि जमा करानी होगी ।

Scanned with CamScanner

15 उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

( एम. डी. काबरा )

विशेषाधिकारी, उच्चशिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप सचिव (प्रो) , मा0 मुख्यमंत्री महो. (उच्चशिक्षा) राजस्थान ,. जयपुर ।
2. निजि सचिव , शासन सचिव , उच्चशिक्षा ,राजस्थान , जयपुर ।
3. आयुक्त ,, कॉलेज शिक्षा , राजस्थान ; जयपुर ।
4. उप सचिव , उच्चशिक्षा , राजस्थान , जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर , भरतपुर / अलवर / जयपुर ।
6. अध्यक्ष / सचिव / मंत्री , श्री निकेतन शिक्षा समिति [illegible] जयपुर
7. रक्षित पत्रावली ।

(हस्ताक्षर)

विशेषाधिकारी , उच्चशिक्षा